<u>दांडिक प्रकरण क्रमांक–1644 / 2022</u>
<u>छ0ग0 राज्य विरूद्ध फगनी बाई</u>

WintessNo............ 01 ....for......... अभियोजन साक्षी ....Deposition taken

The......... 19-09-2024.........day of............witness's apparent age..........43 वर्ष ....

States on affirmation....... शपथ पूर्वक ...... my name is.............. उमा शंकर देवांगन......

Son/wife of .... श्री स्व0 मोहन लाल देवांगन ...... occupation .... राज मिस्त्री ....

Adderss .... ग्राम–छुरी, थाना–कटघोरा, जिला–कोरबा छ0ग0 ....

<u>प्रारंभ समय :–04.00 बजे से।</u>

01– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को पहचानता हूं। वह मेरे पड़ोस में रहती है। पुलिस वाले मेरे मोहल्ले मे आये थे, तभी मैं घर से बाहर निकल रहा था तभी मुझे रोककर पुलिस वालो ने मुझे कुछ कागजों में हस्ताक्षर कराये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–01, धारा 160 दं0प्र0सं की नोटिस प्रदर्श पी–02, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–03 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

<u>टीप– इसी स्तर पर एडीपीओ द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर उससे सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। प्रकरण के अवलोकन पश्चात सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी गई।</u>

02– यह कहना गलत है कि पुलिस वालो ने मेरे समक्ष आरोपिया से 03 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं बिक्री रकम 120 रूपये जप्त किया था। साक्षी को उसका पुलिस बयान प्रदर्श पी–04 पढकर सुनाये जाने से ऐसा बयान देने से इंकार किया है।

<u>–: प्रतिपरीक्षण वास्ते आरोपिया द्वारा श्री गोविंद कैवर्त अधिवक्ता :–</u>

03– कुछ नहीं।

साक्षी को वाचित,

सही होना स्वीकृत।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
(कु0 मयूरा गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला–कोरबा छ0ग0

सही/–
(कु0 मयूरा गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला–कोरबा छ0ग0